कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश,भोपाल
(प्रशासन– ।।)

कमांक / प्रशा–।। / स्था.3 / व.क्षे.कक्ष / 2327 भोपाल,दिनांक 18-4-2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
भोपाल / सागर म.प्र.।

विषयः–राज्य वन सेवा परीक्षा वर्ष 2018–2019 में चयनित उम्मीदवारो द्वारा वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण 2021–22 सफलता पूर्व पूर्ण करने के उपरांत वनक्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति आदेश।

संदर्भः– म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश कमांक / एफ–1 / 1 / 1 / 0009 / 2022 / 1–10 दिनांक 11.04.2023

म.प्र.शासन वन विभाग के सन्दर्भित आदेश के तहत राज्य वन सेवा वर्ष 2018–19 में चयनित एवं प्राचार्य केन्द्रीय वन प्रशिक्षणे अकादमी कोयंबटूर (तमिलनाडु) से प्राप्त प्रशिक्षण (सत्र 2021–22 बैच) प्राप्त 02 उम्मीदवारों को वनक्षेत्रपाल के पद पर दो वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः म.प्र.शासन वन विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न प्रेषित है । कृपया आदेश की प्रति संबंधित वनक्षेत्रपालो को तामिल कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(हरिशंकर मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन–।।)
मध्यप्रदेश भोपाल.

पृ.क्रमांक/प्रशा–II/स्था.3/व.क्षे.कक्ष/ 2328 भोपाल,दिनांक 18-4-2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू.प्रो.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मा.सं.वि.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3/ संबंधित जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. द्वारा संबंधित वन मण्डलाधिकारी के मध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
4/ संबंधित वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित वनक्षेत्रपाल को तामिल करावे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–II)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\RO_2022\R_letter_2022.doc

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 1[illegible] /[illegible] /2023

क्रमांक F-1 [illegible] राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वनक्षेत्रपाल [illegible] प्रशिक्षण अकादमी कोयंबटूर (तमिलनाडु) [illegible] वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्व करने के उपरान्त [illegible] की [illegible] परिवीक्षा अवधि पर दिनांक 01.09. 2022 से [illegible] वेतनमान में पे मैट्रिक्स लेवल-9 रुपये [illegible] - के [illegible] में नियुक्त करता है :-

स.क्र.	वनक्षेत्रपाल का नाम
[illegible]	श्री [illegible]
2	श्री नितेश डेहरिया

2 परिवीक्षा अवधि के दौरान इन्हें वनक्षेत्रपाल पद हेतु नियत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3/ यदि शासन की राय है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी समय सेवामुक्त किया जा सकेगा।

4/ वनक्षेत्रपालों को कम से कम 05 वर्ष की सेवा राज्य में देनी होगी अन्यथा उम्मीदवार को प्रशिक्षण में जाने के पूर्व विहित प्रारुप में निष्पादित करारनामा एवं प्रशिक्षण बंधपत्र में उल्लेखित राशि जमा करनी होगी।

5 परिवीक्षाधीन व्यक्ति राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षाऍं उत्तीर्ण करेगा जैसा कि विहित की जाए।

6 शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में स्थायी किया जाएगा।

7 राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाएं और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेंगे।

निरन्तर........2

PA TO APCCF (Admin-II)
No. 382
Dt 13/4/23
M.P. BHOPAL

सु प्रो

8/ शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात् सभी शासकीय सेवक स्वतः ही शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तों से आबद्ध हुए माने जाते हैं तथा इनकी सेवाऐं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अध्यधीन रहेंगी।

9/ इन नियुक्तियों में म.प्र. लोक सेवा आयोग (अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

पृ0 कमांक F-1/1/1/0009/2022/1-10, भोपाल, दिनांक 11/4/2023

प्रतिलिपि–

1. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर।
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी वन विभाग, म0प्र0 भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-।।), म0प्र0 भोपाल।
6. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी कार्यालय ....
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
   संबंधित.............................. द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-।।), म0प्र0 भोपाल।
9. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

APCCF (A II)

2189
12-4-23

अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

Order 2023 H.S Ahirwar